

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 466]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2011—आश्विन 27, शक 1933

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. एफ-1(1)21-2007-सी-ग्यारह.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा, मध्यप्रदेश रोजगार सेवा (राजपत्रित) भरती नियम, 1991 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :—

उक्त नियमों में—

अनुसूची—एक, दो, तीन और चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं अर्थात् :—

अनुसूची—एक

(नियम-5 देखिये)

सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतनमान

| अनुक्रमांक | पदनाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | टिप्पणी |
|------------|---|----------------|--------------|---------------------------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | अतिरिक्त संचालक | 01 | प्रथम वर्ग | रु. 37400-67000 + ग्रेड पे 8700 | — |
| 2 | संयुक्त संचालक | 02 | प्रथम वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 7600 | — |
| 3 | उप संचालक | 10 | प्रथम वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600 | — |
| 4 | राज्य रोजगार अधिकारी | 01 | प्रथम वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600 | — |
| 5 | संभागीय रोजगार अधिकारी | 02 | प्रथम वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600 | — |
| 6 | वरिष्ठ शोध अधिकारी | 01 | प्रथम वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 6600 | — |
| 7 | रोजगार बाजार सूचना अधिकारी. | 01 | द्वितीय वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 | — |
| 8 | सहायक संचालक | 02 | द्वितीय वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 | — |
| 9 | राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी. | 01 | द्वितीय वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 | — |
| 10 | रोजगार अधिकारी / रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण) | 55 | द्वितीय वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 | — |
| 11 | व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी | 01 | द्वितीय वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 | — |
| 12 | लेखा अधिकारी | 01 | द्वितीय वर्ग | रु. 15600-39100 + ग्रेड पे 5400 | — |
| 13 | प्रोग्रामर | 03 | द्वितीय वर्ग | रु. 9300-34800 + ग्रेड पे 4200 | — |
| 14 | शीघ्रलेखक श्रेणी-1 | 01 | द्वितीय वर्ग | रु. 9300-34800 + ग्रेड पे 4200 | — |

अनुसूची - दो
(नियम - 6 देखिये)
भरती का तरीका

| विभाग का नाम | पदनाम | पदों की कुल संख्या | भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत | | अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा (नियम-6(1)(ग) देखिए) | टिप्पणी |
|---------------------------------|---|--------------------|--|---|--|--|
| | | | सीधी भरती द्वारा नियम-6(1)(क) देखिए | सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा (नियम-6(1)(ख) देखिए) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | मध्यप्रदेश रोजगार सेवा | | | | | |
| | 1- अतिरिक्त संचालक | 01 | -- | 100 प्रतिशत | -- | -- |
| | 2- संयुक्त संचालक | 02 | -- | 100 प्रतिशत | -- | -- |
| | 3- उप संचालक | 10 | | | | |
| | 4- राज्य रोजगार अधिकारी | 01 | -- | 100 प्रतिशत | -- | अनुक्रमांक 3 से 6 के सामने वर्णित राजपत्रित सेवा प्रथम वर्ग के पद अन्तर परिवर्तनीय है |
| | 5- संभागीय रोजगार अधिकारी | 02 | | | | -- |
| | 6- वरिष्ठ शोध अधिकारी | 01 | | | | -- |
| | 7- रोजगार बाजार सूचना अधिकारी | 01 | | | | |
| | 8- सहायक संचालक | 02 | | | | -- |
| | 9- राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी | 01 | 50% म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा | 50 प्रतिशत | -- | अनुक्रमांक-7 से 11 के सामने वर्णित राजपत्रित सेवा द्वितीय वर्ग के पद अन्तर परिवर्तनीय है |
| | 10- रोजगार अधिकारी / रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण) | 55 | | | | |
| | 11- व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी | 01 | | | | |
| | 12- लेखा अधिकारी | 01 | -- | -- | म.प्र. लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर | -- |
| | 13- प्रोग्रामर | 03 | 100 % म.प्र.लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा | -- | -- | -- |
| 14- शीघ्रलेखक श्रेणी-1 | 01 | -- | 100 प्रतिशत | -- | -- | |

अनुसूची - तीन

(नियम-8 देखिये)

सीधी भरती के लिए आयु तथा अर्हता

| विभाग का नाम | सेवा का नाम | न्यूनतम आयु सीमा | अधिकतम आयु सीमा | विहित शैक्षणिक अर्हता |
|---------------------------------|--|------------------|-----------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | मध्यप्रदेश रोजगार सेवा (राजपत्रित) | | | |
| वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | 1. रोजगार बाजार सूचना अधिकारी | 21 वर्ष | 35 वर्ष | किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान (जिसमें टेक्नालॉजी या इंजीनियरिंग भी सम्मिलित है) वाणिज्य या कृषि में स्नातक की उपाधि। |
| | 2. सहायक संचालक | 21 वर्ष | 35 वर्ष | -तदैव- |
| | 3. राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी | 21 वर्ष | 35 वर्ष | -तदैव- |
| | 4. रोजगार अधिकारी / रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण) | 21 वर्ष | 35 वर्ष | -तदैव- |
| | 5. व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी | 21 वर्ष | 35 वर्ष | -तदैव- |
| | 6. प्रोग्रामर | 21 वर्ष | 35 वर्ष | बी. ई./बी. टेक. (कम्प्यूटर साइंस)/एम. सी. ए./बी. ई. इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित/भौतिक शास्त्र/सांख्यिकीय/ऑपरेशन रिसर्च में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मंडल/संस्थान से कम्प्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ एक वर्ष का कम्प्यूटर पर कार्य करने का अनुभव। |
| | | | | वाछनीय योग्यता- रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया से संबंधित कार्य का अनुभव रखने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी। |

अनुसूची - चार
(नियम-13 देखिये)

| विभाग का नाम | उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है | उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है | पदोन्नति हेतु अपेक्षित सेवा की कालावधि | विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य |
|---|--|--|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग | प्रथम श्रेणी | | | |
| | 1- संयुक्त संचालक | अतिरिक्त संचालक | 3 वर्ष | 1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई अन्य सदस्य-अध्यक्ष 2. प्रमुख सचिव/सचिव-सदस्य 3. उद्योग आयुक्त-सदस्य |
| | 1- उप संचालक | | | |
| | 2- राज्य रोजगार अधिकारी 3- सहायक रोजगार अधिकारी 4- वरिष्ठ शोध अधिकारी | संयुक्त संचालक | 3 वर्ष | -तदैव- |
| | द्वितीय श्रेणी | | | |
| | 1- रोजगार बाजार सूचना अधिकारी 2- राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी 3- सहायक संचालक 4- रोजगार अधिकारी/रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण) 5- व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी | उप संचालक/ राज्य रोजगार अधिकारी/ संभागीय रोजगार अधिकारी/ वरिष्ठ शोध अधिकारी | 5 वर्ष | -तदैव- |
| तृतीय श्रेणी | | | | |
| 1- अधीक्षक 2- सहायक सांख्यिकीय अधिकारी | रोजगार बाजार सूचना अधिकारी /राज्य व्यवसाय मार्गदर्शन अधिकारी /सहायक संचालक/ रोजगार अधिकारी /रोजगार अधिकारी (कार्मिक प्रशिक्षण)/ व्यवसाय अनुसंधान अधिकारी | 5 वर्ष | -तदैव- | |
| 1- शीघ्रलेखक श्रेणी-2 | शीघ्रलेखक श्रेणी-1 | 5 वर्ष | 1. उद्योग आयुक्त - अध्यक्ष 2. संयुक्त संचालक रोजगार - सदस्य 3. उप संचालक रोजगार, संचालनालय (स्थापना) - सदस्य टीप :- पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर पदोन्नति समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर अन्य नाम निर्देशित किए गये सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अन्य अधिकारी को पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जायेगी । | |

No. F-1(1)21/2007/C- Eleven-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment, in the Madhya Pradesh Employment Service (Gazetted) Recruitment Rules, 1991 namely:-

In the said Rules,-

AMENDMENTS

For Schedule-I, II, III and IV the following Schedules shall be substituted, namely:-

"SCHEDULE-1

(See Rule -5)

Classification, Pay-Scales and Number of the posts included in the Service

| S. NO. | NAME OF THE POSTS | NUMBER OF POSTS | CLASSIFICATION | SCALE OF PAY | REMARK |
|--------|--|-----------------|----------------|---------------------------------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Additional Director | 01 | Class I | Rs.37400-67000 + Grade Pay 8700 | - |
| 2. | Joint Director | 02 | Class I | Rs.15600-39100 + Grade Pay 7600 | - |
| 3. | Deputy Director | 10 | Class I | Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600 | - |
| 4. | State Employment Officer | 01 | Class I | Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600 | - |
| 5. | Divisional Employment Officer | 02 | Class I | Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600 | - |
| 6. | Senior Research Officer | 01 | Class I | Rs.15600-39100 + Grade Pay 6600 | - |
| 7. | Employment Market Information Officer | 01 | Class II | Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400 | - |
| 8. | Assistant Director | 02 | Class II | Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400 | - |
| 9. | State Vocational Guidance Officer | 01 | Class II | Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400 | - |
| 10. | Employment officer/ Employment Officer (Staff Training) | 55 | Class II | Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400 | - |
| 11. | Vocational Research Officer | 01 | Class II | Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400 | - |
| 12. | Accounts Officer | 01 | Class II | Rs.15600-39100 + Grade Pay 5400 | - |
| 13. | Programmer | 03 | Class II | Rs.9300-34800 + Grade Pay 4200 | - |
| 14. | Stenographer Grade-1 | 01 | Class II | Rs.9300-34800 + Grade Pay 4200 | - |

SCHEDULE-II
(See Rule -6)
Method of Recruitment

| Name of Department | Name of the post | Total number of Post | Percentage of the number of posts to be filled | | By transfer of the persons from other service [Vide Rule 6(1)(c)] | Remarks | |
|---|---|----------------------|--|---|---|--|---|
| | | | By Direct recruitment [Vide Rule 6(1)(a)] | By promotion of the members in service [Vide Rule 6(1)(b)] | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| Department of Commerce, Industry and Employment | The Madhya Pradesh Employment Service | | | | | | |
| | 1. Additional Director | 01 | - | 100% | - | - | |
| | 2. Joint Director | 02 | - | 100% | - | - | |
| | 3. Deputy Director | 10 | | | | Class-I Gazetted Posts mentioned against serial number 3 to 6 are inter changeable | |
| | 4. State Employment Officer | 01 | - | 100% | - | - | |
| | 5. Divisional Employment Officer | 02 | | | | - | |
| | 6. Senior Research Officer | 01 | | | | - | |
| | 7. Employment Market Information Officer | 01 | | | | - | |
| | 8. Assistant Director | 02 | | | | - | |
| | 9. State Vocational Guidance Officer | 01 | | | | - | |
| | 10. Employment Officer/ Employment Officer (Staff Training) | 55 | 50% | By Competative Examination through Madhya Pradesh Public Service Commission | 50% | - | Class II Gazetted Posts mentioned against serial numbers 7 to 11 are inter changeable |
| | 11. Vocational Research Officer | 01 | | | | - | |
| | 12. Accounts Officer | 01 | | - | - | On Deputation from the Madhya Pradesh Accounts Service. | - |
| | 13. Programmer | 03 | | 100% | By Competative Examination through Madhya Pradesh Public Service Commission | - | - |
| 14. Stenographer Grade-1 | 01 | | - | 100% | - | - | |

SCHEDULE-III**(See Rule -8)****AGE AND QUALIFICATION FOR DIRECT RECRUITMENT**

| Name of Department | Name of Service | Minimum age limit | Maximum age limit | Prescribed Educational Qualifications |
|---|--|-------------------|-------------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Department of Commerce, Industry and Employment | The Madhya Pradesh Employment Service (Gazetted) | | | |
| | 1. Employment - Market Information Officer | 21 years | 35years | A Bachelor's Degree in Arts, Science (including Technology or Engineering) Commerce or Agriculture from any recognized University. |
| | 2. Assistant Director | 21 years | 35years | --do-- |
| | 3. State Vocational Guidance Officer | 21 years | 35years | --do-- |
| | 4. Employmnet Officer/ Employmnet Officer (Staff Training) | 21 years | 35years | --do-- |
| | 5. Vocational Research Officer | 21 years | 35years | --do-- |
| | 6. Programmer | 21 years | 35years | Degree in B.E./B.Tech.(Computer Science) /M.C.A./B.E.(Electronics) From any recognized University. OR At least Second Class masters degree in Mathamatics/Physics/Statistics/Opreation Research From any recognized University and Diploma in computer science from any recognized University/ Board /Institution with one year experience of working on computer . Desirable Qualification – Perference will be given to those who have experience of employment exchange procedure . |

SCHEDULE-IV
(See Rule -13)

| Name of Department | Name of the post from which the promotion is to be made | Name of the post to which the promotion is to be made | Period of service required for promotion | Members of the Departmental Promotion Committee. | |
|---|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Department of Commerce, Industry and Employment | 1. Joint Director | Additional Director | 3 Years. | 1. The Chairman of the Public Service Commission or any member nominated by him. 2. Principal Secretary/Secretary - Member. 3. Industry Commissioner -Member | |
| | 1. Deputy Director 2. State Employment Officer 3. Divisional Employment Officer 4. Senior Research Officer | Joint Director | 3 Years. | --do-- | |
| | 1. Employment Market Information Officer 2. State Vocational Guidance Officer 3. Assistant Director 4. Employment Officer/ Employment Officer (Staff Training) 5. Vocational Research Officer | Deputy Director/ State Employment Officer/ Divisional Employment Officer/ Senior Research Officer | 5 Years | --do-- Note : In the Promotion Committee for posts filled by the promotion excluding the Chairman of the Promotion Committee, amongst the nominated members if there is no one representing Scheduled Caste and Scheduled Tribe, then in that case an officer of the same status belonging to these categories shall be included in the Promotion Committee and the number of members in the Promotion Committee shall be increased to that extent. | |
| | Class -III | | | | |
| | 1. Superintendent 2. Assistant Statistical Officer | Employment Market Information Officer/ State Vocational Guidance Officer/ Assistant Director/ Employment Officer/ Employment Officer (Staff Training)/ Vocational Research Officer | 5 Years | --do-- | |
| 1. Stenographer Grade-2 | Stenographer Grade-1 | 5 Years | 1. Industry - Chairman 2. Joint Director , - Member Employment | | |

| Name of Department | Name of the post from which the promotion is to be made | Name of the post to which the promotion is to be made | Period of service required for promotion | Members of the Departmental Promotion Committee. |
|--------------------|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | <p>3. Deputy Director, -Member Employment Directorate (Establishment)</p> <p>Note : In the Promotion Committee for posts filled by the promotion excluding the Chairman of the Promotion Committee, amongst the nominated members if there is no one representing Scheduled Caste and Scheduled Tribe, then in that case an officer of the same status belonging to these categories shall be included in the Promotion Committee and the number of members in the Promotion Committee shall be increased to that extent".</p> |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद रज्जाक, उपसचिव.